हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास की कवायद शुरू

सरकार ने तलब की सर्वेक्षण रिपोर्ट जल्द तैयार होगी कार्ययोजना

लखनऊ (ब्यूरो)। हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मियों के पुनर्वास व नियोजन को लेकर प्रदेश सरकार ने नए सिरे से कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में सरकार ने इस श्रेणी के सफाई कर्मियों की वास्तविक संख्या जानने के लिए सर्वे कराकर रिपोर्ट भेजने को कहा है। साथ ही, नगर विकास को ऐसे कर्मचारियों के लिए कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।

दरअसल, 1993 में केंद्र सरकार ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा को खत्म करने के लिए शुष्क शौचालयों को जलप्रवाहित शौचालयों में तब्दील करने का फैसला कर 'शुष्क शौचालय सन्निर्माण अधिनियम-1993' लागू किया था। अधिनियम में हाथ से मैला उठाने व उठवाने को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया था। इसके बावजूद, यूपी, गुजरात, मध्यप्रदेश, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश ने उस समय इस अधिनियम को अपने यहां लागू नहीं किया था, लेकिन वर्ष-1999 में इन प्रदेशों ने भी इसे लागू कर दिया।

इसकेबाद, प्रदेश में हाथ से मैला उठाने का काम तो लगभग बंद हो गया, पर अधिनियम के मुताबिक यह काम करने वाले सफाई कर्मियों को रोजगार से जोड़ने के बिंदु पर काम नहीं किया गया। इस संबंध में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की फटकार का भी राज्य सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। वैसे, गत वर्ष जून में सभी निकायों को ऐसे कर्मियों का सर्वे करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक किसी निकाय ने रिपोर्ट नहीं दी है।

अब सरकार बदली है तो एक बार फिर से प्रदेश में मौजूद हाथ से मैला उठाने वाले 7000 (अनुमानित) सफाई कर्मियों केपुनर्वास की कवायद शुरू कर दी गई है। नगर विकास विभाग ने सभी निकायों को ऐसे कर्मचारियों की वास्तविक संख्या पता करने के लिए सर्वेक्षण कराकर रिपोर्ट भेजने को कहा है। स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से सभी जिलों के डीएम, नगर निगमों के नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है।

पुनर्वास स्कीम में यह होना था काम

केंद्र द्वारा बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों में शुष्क शौचालयों के जल प्रवाहित शौचालय में तब्दील होने के बाद बेरोजगार हो चुके कर्मचारियों को रोजगार से जोड़ा जाना था। इसके तहत राज्य सरकारों को उन्हें सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने, खुद का रोजगार करने वाले कर्मियों द्वारा लिए गए ऋण पर अनुदान देकर मदद करने, महिला सफाई कर्मचारियों को सिलाई, बुनाई और पुरुष कर्मचारियों को कंप्यूटर आधारित शार्ट टर्म कोर्स की ट्रेनिंग दिलाने के अलावा नगर निगम में समायोजित कराया जाना था। इसके बावजूद सरकार के स्तर पर कोई काम नहीं किया गया।

'तत्काल कदम उठाए सरकार'

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष दुर्गेश वाल्मीकि का कहना है कि केंद्र की मंशा के मुताबिक यूपी सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। जबकि, अधिनियम में हाथ से मैला उठाने की प्रथा से मुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। फिर भी, यूपी समेत कई राज्यों ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया।